न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 143 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 18 / 12 / 2025

उनवान

1. चतुरभुज पिता वरदा माली निवारी भूपालसागर तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. सुखा मुतबन्ना टेका माली निवारी भूपालसागर
2. नानीबाई बैवा वरदा माली निवारी भूपालसागर
3. चांदी पिता वरदा माली निवारी भूपालसागर
4. गणेशी पिता वरदा माली निवारी भूपालसागर
5. सीता पिता वरदा माली निवारी भूपालसागर
6. भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर
7. उप पंजीयक, भूपालसागर

प्रतिवादी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ़

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री के एल माली, वकील वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंर्तगत धारा–88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :

यह है कि वादी ग्राम भूपालसागर तहसील भूपालसागर का रहने वाला है। तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल जमाबंदी दर्ज आ0न0 8 रकबा 0.01 है0 आ0स0 2 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 कुल लगानी 2.44 पैसा ग्राम चक भूपालसागर में स्थित है। जो वादी प्रतिवादीगण स0 1 के नाम पर दर्ज है। इसी अनुसार ग्राम चक भूपालसागर में आ0स0 480 रकबा 0.34 है0 आ0स0 552 रकबा 0. 15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 कुल लगानी 9 रूप्या 31 पैसा स्थित है जो कि प्रतिवादी 1 व वादी के नाम पर दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 वरदा की संतान है और वरदा व टेका दोनो सगे भाई थे। वरदा और टेका के पिता किशना थे जो वादी के पितामह थे वादी के पिता फौत हो गए और काका टेका जी जो करीब 20 साल पहले फौत हो गए थे। वादी के काकाजी टेका जी विवाहित थे लेकिन कोई जायंदा पुत्र व पुत्री नही थे तथा उनकी पत्नी की भी मृत्यु टेका जी से पूर्व हो चुकी है। काका मृतक टेकाजी ने अपने जीवन में वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 को बचपन में हिंदु धर्म रिवाज अनुसार गोद लिया। रीति रिवाज अनुसार जाति समाज के आम मुसायरे में लहरिया बंधवाया गोदपुत्र होने की घोषणा की। वादी के माता पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 को टेका जी के गोद रखा इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 टेका जी के साथ रह बडा हुआ, टेका जी की समस्त आराजियात जायदाद पर काबिज हुआ। टेका जी की आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम बेहैसियत पुत्र खाते दर्ज करवा दी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 टेका जी का गोद पुत्र है। वादी के पिता वरदा की मौत पर विरासत इंतकालवादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खोला गया जो गलत है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के गोद जाने से वरदा के बचे वारीस वादी है। और मृतक वरदा की वाद उल्लेखित कालम 1 व 2 आराजियात में प्रतिवादी सं0 1 का काका टेका के गोद जाने से कोई हक हिस्सा नही है उल्लेखित कुल आराजियात का अकेला खातेदार वादी ही है और वादी ही अनवरत पिता के वक्त से करीब 40 साल पहले से काबिज काश्त है प्रतिवादी संख्या 1 का न कब्जा है न ही काश्त कर रहा है। इसलिए खातेदारी अधिकार व इंद्राज दुरूस्ती की घोषणा बहक वादी फरमाने की वाद कालम स0 1 का न कब्जा है न काश्त कर रहा है। इसलिए खातेदारी अधिकार व इंद्राज दुरूस्ती की घोषणा बहक वादी फरमाने की वाद कालम स0 1 व 2 की कुल आराजियात का खातेदार काश्तकार वादी ही है। प्रतिवादी संख्या एक का नाम हटाया जावें। उक्त आराजियात वादी व प्रतिवादी सं0 एक के नाम दर्ज है। कब्जा काश्त अकेले वादी का है प्रतिवादी स0 एक का नाम गलत अंकित होने से प्रतिवादी स0 एक वादी को आराजियात जैरबहस जबरन बेदखल करने दस्तंदाजी करने, आराजियात हिस्सा रहन, बह मुंतकील करने, रेवेन्यू रेकार्ड तब्दील करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादी संख्या एक के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वे उक्त कृत्य नही करे प्रतिवादी स0 एक रेवेन्यू रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखें, प्रतिवादी संख्या एक से लगायत 5 तक उल्लेखित आराजियात के किसी भी आराजियात का पंजीयन न करे। प्रतिवादी एक ने दिनांक 15.03.2010 को वादी को धमकी देकर विवाद किया कि उल्लेखित आराजियात मेरे नाम पर करा रखी है। मै इसे बेचूगां, कब्जा हटाउगा, टेका जी की जमीन भी मेरी व उक्त जमीन वादगत भी मेरी है। समझाया लेकिन नही माना, रेवेन्यू रेकार्ड देखा तो इंद्राज का ज्ञान हुआ जिस पर गलत अंकन की जानकारी हुई इससे बिनाय दावा तारीख 15.0.3.2010 से शुरू होकर लगातार बनी हुई है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण ... जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 उपस्थित नही आने से कार्यवाही एकतरफा की गई ... रोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नही होना बताया। कार्यवाही एकतरफा होने से तत्कालीन कायम ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.02.02 14:15:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Office order

वकील वादी ने साक्ष्यवादी में गवाह कालूलाल पिता चतुर्भज माली पी डबलयू 1 का शपथपत्र पेश कियां। एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाएं। जो कि जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2064–67 की नकल प्रदर्श 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के गोदपुत्र जाने बाबत जमाबंदी संवत 2064–67 तक की नकल प्रदर्श 3 होकर शामिल पत्रावली है। पैरोकार सरकार की जिरह निल। पैरोकार सरकार द्वारा शहादत प्रतिवादी पेश नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी व जिरह बंद की गई।

वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम भूपालसागर, पटवार हल्का भूपालसागर के हाल आ0 नं0 8 रकबा 0.01 है0, आ0 नं0 09 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0, लगानी 2.44 रूपया एवं इसी प्रकार ग्राम चकभूपालसागर, तह0 हाल भूपालसागर में दर्ज हाल आ0 नं0 480 रकबा 0.34 है0, आ0 नं0 552 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0, लगानी 9 रूपया 31 पैसा आराजीयात वादी चतरभुज के नाम 1/2 हिस्से प्रतिवादी संख्या 2 सुखा के नाम 1/2 हिस्से अनुसार हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वाद–पत्र के साथ प्रमाणित नकले प्रस्तुत है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 वरदा की सन्तान है। वरदा व टेका दोनो सगे भाई थे। वरदा व टेका के पिता किशना जी थे। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पितामाह थे। वादी के पिता फौत हो गये और काका टेका जी भी फौत हो गये। यह कि वादी के काका जी टेका जी विवाहित थे, लेकिन उनके कोई जाईन्दा पुत्र व पुत्री नही थे तथा उनकी पत्नि की भी मृत्यु टेका जी से पुर्व हो चुकि है। काका मृतक टेका जी ने अपने जीवन काल में वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 सुखा को बचपन में हिन्दु धर्म रस्मो रिवाज के अनुसार गोद–पुत्र लिया था। रिति–रिवाज जाति समाज के आम मुसायरे में लहरिया बंदवाया, गोद–पुत्र होने की घोषणा की, वादी के माता–पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 को टेका जी के गोद रखा इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 सुखा टेका जी के साथ रहा और बड़ा हुआ। टेका जी की समस्त आराजीयात, जायदाद पर काबिज हुआ, प्रतिवादी संख्या 1 ने ही टेका जी मृत्यु पर बहैसियत पुत्र तृपण, पिण्डदान, मुखागिनी दे सारे सामाजिक काम किये टेका जी की पगड़ी बांधी और इस प्रकार आज दिन तक टेका जी की आराजीयात पर काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 टेका जी का गोद पुत्र है। वादी के पिता वरदा जी की मृत्यु पर विरासत नामान्तरण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खोला गया जो गलत है क्यों कि प्रतिवादी संख्या 1 के टेका जी गोद चले जाने से मृतक वरदा जी की वाद–पत्र उल्लेखित कॉलम संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही बनता है। वाद उल्लेखित कुल आराजीयात का अकेला खातेदार वादी ही है। इसलिए वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारी व ईन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 के जारी फरमाया जावें कि वाद–पत्र की कॉलम संख्या 1 व 2 में वर्णित कुल आराजीयात का खातेदार काश्तकार वादी के पक्ष में घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावें। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के अपने काका टेका पिता किशना जी के गोद चला गया। गोद पिता के नाम की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हाल रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 दत्तक पुत्र बहैसियत दर्ज रेकार्ड होकर प्रतिवादी ही काश्त कर रहा है। एवं टेका जी के मकान व अन्य समस्त चल–अचल सम्पति का उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजीयात की प्रमाणित नकल पेश है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामील भी अदालत में हाजीर नही होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कि गई है। प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 तक वरदा के उत्तराधिकारी है जिनके नाम पर आराजीयात दर्ज नही है। लेकिन उत्तराधिकारी होने के कारण पक्षकार बनाया जो बाद तामील हाजीर नही होने से उनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही कि गई है। यह कि दौराने वाद विचारण वादी की मृत्यु हो गई, वादी के विधिक उत्तराधिकारी कायम मुकाम के जरिये पक्षकार बने है। तथा वर्तमान में संशोधित अनवान के जरिये वादीगण पक्षकार बने है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है। कि वादीगण की लिखित बहस स्वीकार फरमा हाल आ0 नं0 8 रकबा 0.01 है0, आ0 नं0 09 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0, लगानी 2.44 रूपया एवं इसी प्रकार ग्राम चकभूपालसागर, तह0 हाल भूपालसागर में दर्ज हाल आ0 नं0 480 रकबा 0.34 है0, आ0 नं0 552 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0, लगानी 9 रूपया 31 पैसा आराजीयात में हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा कि डिक्री वादीगण के पक्ष में फरमाई जावें।

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल–साबिक जमाबंदी का अवलोकन किया। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर वाद स्वीकार करने का निवेदन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने बहस उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात वादी का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है, हाल आ0 नं0 8 रकबा 0.01 है0, आ0 नं0 09 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0, लगानी 2.44 रूपया एवं इसी प्रकार ग्राम चकभूपालसागर, तह0 हाल भूपालसागर में दर्ज हाल आ0 नं0 480 रकबा 0.34 है0, आ0 नं0 542 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0, लगानी 9 रूपया 31 पैसा आराजीयात में हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.02.02 14:15:40 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Office order